संख्याः1/2023/675/सैंतीस-3-2023

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊःदिनांकः 21 जून, 2023**

विषयः स्थानान्तरण नीति, 2023-24 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में समूह-'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-235/स्था0-2/1-ख/13(3077)/2021, दिनांक 21-06-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि जनपदों में समूह-ग एवं घ के कार्मिकों की तैनाती सन्तुलित एवं कार्य की आवश्यकतानुरूप न होने कारण विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संचालन में सुगमता नहीं है। प्रदेश में संचालित समस्त पशु सेवा केन्द्रों/पशुचिकित्सालयों पर समूह-ग एवं घ के कार्मिकों की पदस्थापना को संतुलित किया जाना आवश्यक है, जिससे राजकीय कार्यो का कुशल संचालन एवं विभागीय कल्याणकारी योजनाओं से जनमानस को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया जा सके। शासनादेश संख्या-3516/37-1-2014-5(51)/2014, दिनांक 05-11-2014 एवं शासनादेश संख्या-आई/83232/2021, दिनांक 27-07-2021 में विद्यमान प्राविधानों के दृष्टिगत विभाग में समूह-ग एवं घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने में कठिनाई है। उक्त के दृष्टिगत राजकीय कार्यहित में समूह-ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 05-11-2014 को संशोधित करते हुए स्थानान्तरण नीति 2023-24 के शासनादेश संख्या-5/2023/262/ सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07-06-2023 के अनुरूप स्थानान्तरण किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 05-11-2014 एवं 27-07-2021 में विद्यमान व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुए समूह-ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में स्थानान्तरण नीति 2023-24 के अनुक्रम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) समूह-ग एवं समूह-घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में शासन स्तर से मा0 मंत्री जी के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण प्राथमिकता के आधार पर किये जायेगें।

(2) उक्त 10 प्रतिशत की सीमा में आने वाले आधे कार्मिकों को मण्डल के बाहर उनके स्वयं के अनुरोध पर विभागीय नीति के अनुरूप शासन स्तर पर विचार-विमर्श कर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। इस संबंध में कार्मिकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से दिनांक 23-06-2023 तक उनका आवेदन-पत्र प्राप्त कर उनसे 03 जनपदों का विकल्प लेकर उसके अनुसार किया जायेगा।

(3) उक्त 10 प्रतिशत की सीमा में आने वाले शेष आधे कार्मिकों को मण्डल के अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में किया जायेगा। इस हेतु भी कार्मिकों से दिनांक 23-06-2023 तक उनका आवेदन-पत्र प्राप्त कर उनसे 03 जनपदों का विकल्प लेकर उसके अनुसार स्थानान्तरण किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरण में आवश्यकता एवं संतुलन का समुचित ध्यान रखा जायेगा। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि आकांक्षात्मक जनपदों एवं विकास खण्ड़ों में कार्मिकों की कमी न हो।

(5) वर्ष 2013-14 में पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर चयनित कार्मिकों का स्थानान्तरण परामर्शी विभागों के परामर्श के क्रम में विभाग की प्रचलित नीति के अधीन निम्न शर्तों पर किया जा सकेगाः-

(क) स्थानान्तरण संबंधी समस्त आदेश इस संबंध में लम्बित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

(ख) स्थानान्तरण विषयक उपरोक्त निर्देशों से ऐसे कार्मिकों की सेवाओं से संबंधित विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3- शासनादेश संख्या-3516/37-1-2014-5(51)/2014, दिनांक 05-11-2014 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 -द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।